1/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज)

(बईजलास राजेश डागा आर0 ए0 एस0)

केस न0 : 43 / 21 निर्णय दिनांक 19.01.2023

1 योगेश कुमार उम्र 42वर्ष पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासीग्राम खेडलीकन्दाफल तहसील कनवास हाल निवासी खेडलीफाटक कोटा जिला कोटा।

वादी—

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास जिला कोटा
2. रामरतन पुत्र नेनगीराम जाति धाकड निवासी ग्राम खेडली कन्दाफल तहसील कनवास जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित
वादी की ओर सेः— अशोक कुमार जैन एडवोकेट
वादी की ओर से :— एन के कटारिया।

वाद वास्ते खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती,
स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी एक्ट

वादी के द्वारा जर्ये एडवोकेट दावा अन्तर्गत धारा 88 89 188 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कन्दाफल पटवार हल्का ढोटी तहसील सांगोद हाल तहसील कनवास में खसरान0 448 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 449 की 1.01 हेक्टर, खसरा न0 450 की 1.01 हेक्टर, खसरा न0 451 / 608 की 0.07 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 2.10 हेक्टर की कृषि भूमि स्थित है, उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि के साबिक खसरा न0 249 रकबा 13 बीघा रहे है. उक्त कृषि भूमि पूर्व में श्री नाथूलाल. जानकीलाल, बलराम पुत्रान बिरधीलाल व बिरजी सेवा बिरधीलाल जाति धाकड निवासीगण खेडली कन्दाफल के खाते में दर्ज रही है, जिन्होने उक्त खसरा नम्बर की भूमि को वादी को पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 19.6.81 के द्वारा विकय कर दिया था, उक्त कृषि भूमि को वादी की नाबालिग अवस्था में उसके संरक्षक पिता रामलाल द्वारा खरीद किया गया था, जो कि वक्त खरीद से वादी के पिता व वादी के होश संभालने के बाद वादी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे चली आ रही है. वादी की नाबालिग अवस्था में उक्त कृषि भूमि की देखरेख वादी के संरक्षक पिता द्वारा की जाती रही, वर्तमान मे भी उक्त कृषि भूमि वादी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है।
वादी के पिता का नाम श्री रामलाल है, वे फोरेस्ट रेन्जर होकर सरकारी नौकरी मे थे, जिनका स्वर्गवास दिनांक 2.12.1996 को हो चुका है, वादी के पिता रामलाल व प्रतिवादी न0 2 जो कि श्रीरामलाल के सगे भाई है, ने उनके जीवनकाल मे लगभग 70–75 बीघा कृषि भूमि विभिन्न नामो से कय की । प्रतिवादी कम 2 के एक मात्र पुत्र शिवराज पुत्र रामरतन जाति धाकड़ निवासी ग्राम खेडली कन्दाफल मौजूद है, इसी प्रकार स्व० श्री रामलाल के दो पुत्र वादी के नन्दकुमार है, वादी को उसके बचपन के नाम मुकेश से भी जाना जाता है। इस प्रकार वादी को मुकेश व योगेश दोनों ही नामो से जाना जाता है।
दिनांक 19.6.81 को उक्त वर्णित कृषि भूमि को कम करते समय वादी के नाबालिग होने की वजह से उक्त कृषि भूमि को वादी के नाम से जये संरक्षक खरीद किया गया था तथा पंजीकृत विक्रय

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

विलेख में वादी के पिता के स्थान पर श्री रामलाल का नाम दर्ज होना था, परन्तु भूलवश वादी के पिता के स्थान पर प्रतिवादी कमर का नाम सहवन से डीड राइटर द्वारा लिख दिया गया. जिसका पता तत्काल नहीं चल सका, जिसकी वजह से उक्त पंजीकृत विक विलेख के आधार पर खोले गये नामान्तरण तथा तैयार की गई जमाबन्दी मे भी वादी की वल्दियत रामरतन दर्ज कर दी है, जबकि वादी के पिता का नाम रामरतन न होकर रामलाल था, बादी के पिता श्री रामलाल वक्त रजिस्ट्री सरकारी नौकरी मे होने की वजह से मौके पर मौजूद नहीं थे, तथा मौके पर प्रतिवादी कम्र 2 मौजूद था, इस वजह से भी उक्त भूल का पता वादी के पिता (अथवा प्रतिवादी कमर को भी नही चल पाया त्यादी को उक्त त्रुटि का पता सन –2011, 2012 के लगभग लगा तो उसने प्रतिवादीन02 से जानकारी की, तो उन्होने बताया कि मैने वक्त रजिस्ट्री दस्तावेज नही पढ़ा था. इसलिए हो सकता है. कि डीड राइटर से भूल हो गई हो, और उसने तुम्हारे पिता रामलाल के स्थान पर मेरा नाम दर्ज कर दिया हो। मैं इस त्रुटि को दुरस्त करवाने में जो भी सहयोग होगा, तुमको अवश्य दूंगा। प्रतिवादी न0 2 द्वारा वादी को दिये गये आश्वासन का समय धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा है, परन्तु प्रतिवादी न0 2 को ध्यान इस गलती को दुरस्त करवाने पर नही है, इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि उक्त कृषि मे स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवाकर इन्द्राज दुरस्त करवाकर अपने पिता का नाम रामरतन के स्थान पर रामलाल दर्ज करवाकर इन्द्राज दुरस्त करवा लेवे, यही इस वाद की विषयवस्तु है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम कन्दाफल पटवार हल्का ढोटी तहसील सांगोद हाल तहसील कनवास में खसरा न0 448 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 449 की 1.01 हेक्टर, खसरा न0450 की 1.01 हेक्टर, खसरा न0 451 /608 की 0.07 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 2.10 हेक्टर की कृषि भूमि में वादी को खातेदार कृषक घोषित किये जाने का कष्ट करे। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर वादी के पिता की वल्दियत रामरतन के स्थान पर रामलाल दर्ज कर इन्द्राज दुरस्त किया जावे ।

वादी के पक्ष में प्रतिवादीन 02 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेध आज्ञा प्रदान की जावे, कि वह राजस्व रेकार्ड मे सहवन से हुई उक्त त्रुटि की वजह से ग्राम कन्दाफल पटवार हल्का ढोटी तहसील सांगोद हाल तहसील कनवास में खसरान0 448 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0449 की 1.01 हेक्टर, खसरा न0450 की 1.01 हेक्टर, खसरा न0 451 /608 की 0.07 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 2.10हेक्टर की कृषि भूमि में वादी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी भी प्रकार से बाधा पहुचाने का प्रयास नही करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलवी जर्ये सम्मन की गई। पत्रावली में प्रतिवादी कम 1 की तामिल प्राप्त व प्रतिवादी की तामिल अदम में हुई। प्रतिवादी कम 2 की ओर से पुत्र शिवराज उपस्थित हुआ प्रतिवादी कम 2 की ओर श्री नरेन्द्र कुमार कटरिया एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया पत्रावली काफी समय से जवाब प्रतिवादी कम 2 में चल रही है प्रतिवादी पर 200 रू की कोस्ट लगाई गई। पत्रावली में आदेशिका दिनांक 24.04.2019 पर प्रतिवादी पर 200 रूप्ये की कोस्ट पर जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया गया था किन्तु प्रतिवादी द्वारा काई जवाब पेश नही किया गया। पत्रावली जवाब सरकार में नियत की गई काफी समय से पत्रावली जवाब सरकार में नियत होने से जवाब सरकार बन्द किया। पत्रावली में तनकीयात कायम की गई जो शामिल की गई।

पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी में नियत की गई साक्ष्यवादी में पीडब्लू 1 योगेश कुमार का शपथ पत्र पेश हुआ हस्ताक्षर करावाये गये। साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गइ। पत्रावली बहस में नियत की गई पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया वादी के उजरात सही प्रतीत होते है।

Scanned with ACE Scanner

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कन्दाफल पटवार हल्का ढोटी तहसील कनवास में स्थित आराजी खसरा न0 448 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 449 की 1.01 हेक्टर, खसरा न0 450 की 1.01 हेक्टर, खसरा न0 451／608 की 0.07 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 2.10 हेक्टर की कृषि भूमि मे वादी को कृषक खातेदार घोषित किया जाता है इस घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर वादी के पिता का नाम रामरतन के स्थान पर रामलाल दर्ज कर इन्द्राज दुरस्ती की घोषणा की जाती है तथा प्रतिवादी न 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि व राजस्व रेकार्ड में सहवत से हुई त्रुटि की वजह से ग्राम कन्दाफल पटवार हल्का ढोटी तहसील कनवास के खसरा न खसरा न0 448 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0449 की 1.01 हेक्टर, खसरा न0 450 की 1.01 हेक्टर, खसरा न0 451／608 की 0.07 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 2.10 हेक्टर की कृषि भूमि में वादी योगेश पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी खेडली कंदाफल के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

राजेश डागा(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इबारदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

केस न0 : 70 / 16

निर्णय दिनांक 19.01.2023

1 योगेश कुमार उम्र 42वर्ष पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासीग्राम खेडलीकन्दाफल तहसील कनवास हाल निवासी खेडलीफाटक कोटा जिला कोटा।

वादी–

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास जिला कोटा
2. रामरतन पुत्र नेनगीराम जाति धाकड निवासी ग्राम खेडली कन्दाफल तहसील कनवास जिला कोटा।

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित
वादी की ओर से:– अशोक कुमार जैन एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– एन के कटारिया एडवोकेट

वाद वास्ते खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती,
स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. **70 / 16** सन **2016** तारीख फैसला **19.01.2023 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी **अशोक कुमार जैन एडवोकेट वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी 1 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास व प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से एन के कटारिया एडवोकेट स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कन्दाफल पटवार हल्का ढोटी तहसील कनवास में स्थित आराजी खसरा न0 448 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 449 की 1.01 हेक्टर, खसरा न0 450 की 1.01 हेक्टर, खसरा न0 451 / 608 की 0.07 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 2.10 हेक्टर की कृषि भूमि मे वादी को कृषक खातेदार घोषित किया जाता है इस घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर वादी के पिता का नाम रामरतन के स्थान पर रामलाल दर्ज कर इन्द्राज दुरस्ती की घोषणा की जाती है तथा प्रतिवादी न 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि व राजस्व रेकार्ड में सहवत से हुई त्रुटि की वजह से ग्राम कन्दाफल पटवार हल्का ढोटी तहसील कनवास के खसरा न खसरा न0 448 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 449 की 1.01 हेक्टर, खसरा न0 450 की 1.01 हेक्टर, खसरा न0 451 / 608 की 0.07 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 2.10 हेक्टर की कृषि भूमि में वादी योगेश पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी खेडली कंदाफल के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।,

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **19.01.2023** माह **जनवरी 2023** को जारी की गई।

मोहर ....

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	''''	-------NIL-------		स्टाम्प वकालतनामा	''''	-------NIL-------	
स्टाम्प वकालतनामा	''''			स्टाम्प अर्जी	''''		
स्टाम्प वजह सबूत	''''			महनताना वकील	''''		
महनताना वकील	''''			खर्चा गवाहान	''''		
खर्चा गवाहान	''''			फीस कमिश्नर	''''		
फीस कमिश्नर	''''			बाबत इजराय हुकमनामा	''''		
बाबत इजराय हुकमनामा	''''			मुतफर्रिक	''''		
मुतफर्रिक	''''			मीजान	''''		
मीजान	''''						

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner